

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

4/9/24

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 /2024/745 दिनांक 08.08.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.03.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-

ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली तहसील भीलवाडा


1. धापू देवी पत्नी बंशीलाल लुहार हिस्सा पूर्ण, खातेदार के निम्न आराजी रहेगी :-

आराजी नम्बर 476/1 रकबा 0.0715 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 477/1 रकबा 0.1897 हैक्टेयर कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.2612 हैक्टेयर रहेगी।

2. रतनी देवी पत्नी कैलाशचन्द्र काबरा, हिस्सा पूर्ण, खातेदार के निम्न आराजी रहेगी :-

आराजी नम्बर 476 रकबा 0.1308 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 477 रकबा 0.2655 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 478 रकबा 0.1265 हैक्टेयर कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.5228 हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 4/9/2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।


उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड सहायक कलक्टर
पटवार सहायक कलक्टर
भीलवाडा
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या

127 / 2022

दायर दिनांक

21.09.2022

निर्णय दिनांक

4/9/2024

उनवान

श्रीमती धापू देवी पत्नी श्री बंशीलाल लुहार, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा।

— वादीया

बनाम

श्रीमती रतनी देवी पत्नी श्री कैलाशचन्द्र काबरा, निवासी श्रीगेस्ट हाउस, नेहरू रोड, बांस वाली गली, भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

उपपजीयंक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. वादीया अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन उपस्थित।
2. विपक्षी संख्या 01 अधिवक्ता श्री अमित कोठारी उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 और से अधिवक्ता श्री अमित कोठारी उपस्थित। प्रकरण में - इस वाद में तारीख 4/9/24 24 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक लक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, इसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

म रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा

धापू देवी पत्नी बंशीलाल लुहार हिस्सा पूर्ण, खातेदार के निम्न आराजी रहेगी :-

आराजी नम्बर 476 / 1 रकबा 0.0715 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 477 / 1 रकबा 0.1897

हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.2612 हैक्टेयर रहेगी।


रतनी देवी पत्नी कैलाशचन्द्र काबरा, हिस्सा पूर्ण, खातेदार के निम्न आराजी रहेगी :-

आराजी नम्बर 476 रकबा 0.1308 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 477 रकबा 0.2655

हैक्टेयर, आराजी नम्बर 478 रकबा 0.1265 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.5228

हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल रामद कार्यवाही करें।


(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा